

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प फतेहपुर

455
12/06/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी फतेहपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक फतेहपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मालखपुर / नायब तहसीलदार फतेहपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम फतेहपुर तहसील मालखपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 33 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	33 फतेहपुर	33	ओमी छोटे पि. मरेखी हि. 819 मुन्नी देवी पुत्री मरेखी हि. 1/9 कैम्प पत्तार सा देहपुर	ओमी छोटे पि. मरेखी हि. 819 मुन्नी देवी पुत्री मरेखी हि. 1/9 कैम्प जाटव सा देहपुर

फतेहपुर
11/06/18
(उप खण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प फतेहपुर
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार मालखपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।